



छुट्टी की अर्जी का फार्म

FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

(अनुसूचित नियम 216 देखिये)

(See Supplementary Rule 216)

एस. नं. : 1

S. R. : 1

टिप्पणी :— मद संख्या 1 से 11 प्रत्येक प्राप्ति को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित।

Note :— Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

1. प्राप्ति का नाम
Name of applicant
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
Leave rules applicable
3. पद
Post held
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
Department, Office and Section
5. वेतन
Pay
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिफल भत्ते।
House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post.
7. मांगी गयी छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
Nature and period of leave applied for and date from which required.
8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हों, जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।
Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave
9. छुट्टी का कारण
Ground on which leave is applied for
10. पिछली छुट्टी से सौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि।
Date of return from last leave, and the nature and period of the leave.
11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में के पण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की रियायत लेने का है/नहीं है।
I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years during the ensuing leave.
11. क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी का अवधि में लिए गये छुट्टी वेतन और आगे औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी में मिलने वाले वेतन के अन्तर को उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर भ्रष्टाचार के दौरान मेरे सेवा निवृत्ति होने की स्थिति में गृह नियम 84 (ख) (ii)/संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होती।
(b) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/computed leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F. R. 81 (b) (ii)/rule 11 (c) (iii) of the Revised Regulations, 1933, not been applied in the event of my retirement from service at the end of the currency of the leave.

12. (a) मैं यद्यन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सकूँ जितनी अर्जित छुट्टी मेरी ली है तो मैं अर्जित छुट्टी के दौरान, जो मूल नियम 81 (ग)/संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (प) के लागू न किये जाने पर पूर्ण न मिल पाती, मैं छुट्टी के वेतन की वापस कर दूँगा।
- (b) I undertake to refund the leave salary drawn during "leave not due" which would not have been admissible, had F. R. 81 (c)/Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख/Date _____ प्राची के हस्ताक्षर/Signature of applicant _____

13. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश
Remarks and/or recommendation of the
Controlling Officer.

हस्ताक्षर/Signature _____

तारीख/Date _____ पदनाम/Designation _____

छुट्टी की अनुम्यता के बारे में प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE
(राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा)
(By Accountant General in the case of gazetted officers)

14. प्रमाणित किया जाता है कि _____ में _____
तक _____ दिन के लिए _____ नियमावली के नियम _____
के अधीन _____ (छुट्टी की विराम) अनुमत्य है।

Certified that _____ (Nature of leave)
for _____ from _____ to _____
(Period)
is admissible under rule _____ of the _____ Rules:

हस्ताक्षर/Signature _____

तारीख/Date _____ पदनाम/Designation _____

15. *स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश :-
*Orders of the sanctioning authority :-

हस्ताक्षर/Signature _____

तारीख/Date _____ पदनाम/Designation _____

* यदि प्राची को कोई प्रतिकार मत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्राची उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ उसी प्रकार का मत्ता मिलता हो।

* If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether after the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.